राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमाकः–09(07)गृह–1/2022 जयपुर, दिनांकः– 01.09.2023

::परिपत्र::

राजस्थान पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस बल के सदस्य के रूप में सराहनीय सेवाओं, उनके कठोर परिश्रम एवं योगदान के दृष्टिगत तथा उनके मनोबल व उत्साहवर्धन हेतु पात्रतानुसार प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर ''मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट सेवा पदक'', ''मुख्यमन्त्री सराहनीय सेवा पदक'' घोषित किये जायेगें एवं इनका वितरण आगामी वर्ष में राजस्थान पुलिस दिवस परेड़ के अवसर पर किया जावेगा।

1. उपरोक्त पदकों को प्रदान किये जाने के लिए अर्हता की निम्न शर्ते होंगीः–
   - (i) ये पदक कानिस्टेबल से भारतीय पुलिस सेवा स्तर के वर्दीधारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित) को पात्रतानुसार प्रदान किये जायेगें।
   - (ii) उक्त पदकों हेतु पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेगें। आवेदन हेतु ऑनलाईन व्यवस्था प्रभाव में आने तक ऑफलाईन मोड में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जा सकेगें।
   - (iii) पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में अन्य विवरणों के साथ–साथ आवेदक द्वारा उत्कृष्ट अथवा सराहनीय कार्य के संबंध में उद्धरण (Citation) प्रस्तुत किया जायेगा जो कि 200 शब्दों से अधिक नहीं होगा।
   - (iv) पदक हेतु सामान्य पात्रता निम्नानुसार होगी –

(a) मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट सेवा पदक :–

- जिसकी 20 वर्ष की निरन्तर सेवा बेदाग रही हो।
- जो सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी लघु या वृहद दण्ड से दण्डित नहीं हुआ हो तथा न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में सिद्ध दोष ना किया गया हो।
- आपराधिक या एसीबी प्रकरण में नामजद ना हो साथ ही सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य इस ओर इंगित ना करे कि पदक प्रदान किया जाना उचित ना हो। (इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कमेटियां प्रकरणवार विस्तार से समीक्षा करेंगी)

- जिसके गत 20 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की हो तथा सम्पूर्ण सेवाकाल में कभी भी सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं पाई गई हो।
- मेडल दिये जाने के विचार के समय कोई भी विभागीय जांच उसके विरूद्ध लम्बित ना हो, ना ही लघु दण्ड चल रहा हो।
- गत 10 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 'बहुत अच्छा' या 'उत्कृष्ट' हो।

(b) **मुख्यमन्त्री सराहनीय सेवा पदक** :–

- जिसकी 10 वर्ष की निरन्तर सेवा बेदाग रही हो।
- जो सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी लघु या वृह्द दण्ड से दण्डित नहीं हुआ हो तथा न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में सिद्ध दोष ना किया गया हो।
- आपराधिक या एसीबी प्रकरण में नामजद ना हो साथ ही सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य इस ओर इंगित ना करे कि पदक प्रदान किया जाना उचित ना हो।(इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कमेटियां प्रकरणवार विस्तार से समीक्षा करेगी)
- जिसके गत 10 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई हो तथा सम्पूर्ण सेवाकाल में कभी भी सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं पाई गई हो।
- मेडल दिये जाने के विचार के समय कोई भी विभागीय जांच उसके विरूद्ध लम्बित ना हो, ना ही लघु दण्ड चल रहा हो।
- गत 07 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 'बहुत अच्छा' या 'उत्कृष्ट' होना चाहिए।

(v) इन पदकों हेतु कार्मिकों के चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारी/कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) पदक के साथ प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जावेगा।

(2) ''मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट सेवा पदक'' एवं ''सराहनीय सेवा पदक'' पदक प्रदान किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित कारणों से वापस लिये जा सकेगें अथवा जब्त किये जा सकेगें :–

- यदि प्राप्तकर्ता को किसी पदक प्राप्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई वृह्द दण्ड प्रदान किया जाता है।
- यदि प्राप्तकर्ता को किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है।
- यदि प्राप्तकर्ता को किसी पदक प्राप्ति के बाद अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप तीन लघु शास्तियां प्रदान की जाती है।
- सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाये जाने पर अथवा नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार अथवा गम्भीर अपराधों में दोषी पाये जाने पर ।

(3) "मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट सेवा पदक" एवं "मुख्यमन्त्री सराहनीय सेवा पदक" की संख्या

यह पदक राजस्थान पुलिस की सभी रैंक के अधिकारियों को "मुखमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक" एवं "मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक" प्रदान किये जाने वाले पदकों की अधिकतम संख्या कुल 50 होगी जिसमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदकों की अधिकतम संख्या 10 तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक की संख्या अधिकतम 40 होगी।

(4) प्रक्रिया :–

उक्त पदक हेतु पात्र पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की समीक्षा हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित की जावेगी जो विभिन्न रेंजो/यूनिटों से प्राप्त आवेदनों/प्रस्तावों का निर्धारित मापदण्डानुसार परीक्षण कर अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 01 अप्रेल तक प्रेषित करेगी।

रेंज/यूनिट से पात्र पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के प्रस्ताव निम्न संलग्न दस्तावेजों के साथ पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित जांच एवं परीक्षण समिति को 31 दिसम्बर तक भिजवाये जायेगें।

उक्त पदक प्राप्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उनके सेवाकाल में पुनः उक्त पदक प्राप्त करने के पात्र नहीं होगें। "मुख्यमन्त्री सराहनीय सेवा पदक" प्राप्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पदक प्राप्ति से 06 वर्ष की समयावधि के पश्चात ही "मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट सेवा पदक" हेतु पात्र होगें।

नोटः– चूंकि यह पदक प्रथम बार प्रदान किया जा रहा है इसलिए आगामी 06 वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले व अन्य पात्रता रखने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किये जाने के मध्यनजर, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्राप्ति के 06 वर्ष पश्चात् ही मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु पात्र होने की शर्त में, पदक प्रारम्भ होने से प्रथम 06 वर्षो हेतु निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है :–

- मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित ऐसे पुलिस अधिकारी/कर्मी भी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु सीधे ही पात्र होंगे जो इस पदक हेतु अन्य पात्रता रखते हैं तथा आगामी 06 वर्षो या उससे कम समयावधि में सेवानिवृत्त होने वाले है।

(5) संलग्न करने वाले दस्तावेजों की सूची :–

- पात्र अधिकारी/कार्मिक की प्रस्तावित पदक अनुसार निर्धारित वर्षों की वार्षिक गोपनीय कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन पत्रावली ।
- निष्ठा प्रमाण–पत्र।
- अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जांच/सतर्कता जांच या आपराधिक/न्यायिक कार्यवाही लम्बित नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र ।
- पात्र अधिकारी/कार्मिक का सेवा विवरण/सेवा पुस्तिका।

(6) "मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट सेवा पदक" एवं "मुख्यमन्त्री सराहनीय सेवा पदक" प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भिजवाने के लिये रेंज/यूनिट स्तर पर स्थाई समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :-

<u>रेंज स्तर :-</u>

- महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस — अध्यक्ष
- रेंज मुख्यालय पर पदस्थापित पुलिस अधीक्षक — सदस्य
- रेंज कार्यालय में पदस्थापित अति0 पुलिस अधीक्षक — सदस्य सचिव

<u>यूनिट स्तर :-</u>

- यूनिट प्रभारी (एडीजीपी/आईजीपी) — अध्यक्ष
- यूनिट में पदस्थापित वरिष्ठतम आईजीपी/डीआईजीपी — सदस्य
- यूनिट में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक/अति0 पुलिस अधीक्षक — सदस्य सचिव

पुलिस रेंज के अलावा अन्य शाखा/यूनिट में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को पदक प्रदान करने हेतु गठित की जाने वाली समितियों में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/ महानिरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी ही समिति के अध्यक्ष होगें।

(7) रेंज/यूनिट स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर स्थाई समिति का गठन महानिदेशक पुलिस की अध्यक्षता में निम्न प्रकार होगा:-

- महानिदेशक पुलिस राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम डीजीपी/एडीजीपी — अध्यक्ष
- महानिदेशक/अति0 महानिदेशक पुलिस, अपराध — सदस्य
- अति0 महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) — सदस्य सचिव

(8) मुख्यालय स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु राज्य स्तर पर स्थाई समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्न प्रकार होगा:-

- मुख्य सचिव — अध्यक्ष
- प्रमुख शासन सचिव, गृह — सदस्य
- महानिदेशक पुलिस — सदस्य

(9) राज्य स्तर पर उपरोक्त गठित स्थाई समिति में पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा अभिशंषित प्रस्तावों को रिव्यू किया जाकर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक एवं मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक उपयुक्त अधिकारियों को दिये जाने की अभिशंषा की जावेगी। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जावेगा।

(10) सामान्य निर्देश :–

दण्ड का विचार करते समय दण्ड की परिभाषा में निम्नलिखित दण्डों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा :–

- पी.डी. की सजा
- एक्स्ट्रा ड्रिल की सजा
- कन्फाईन्मेन्ट टू क्वार्टर गार्ड/बैरेक आदि की सजा
- सेवा पुस्तिका चेतावनी
- फटिग ड्रिल आदि

(11) उक्त दोनों पदकों हेतु चयनित पुलिस अधिकारियों के शारीरिक दक्षता/मेडिकल जांच के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक/ पुलिस पदक हेतु जारी दिशा निर्देशों अनुसार निर्धारित SHAPE-1 श्रेणी का प्रमाण–पत्र, होना आवश्यक होगा(अपवादिक प्रकरणों में SHAPE-2 श्रेणी हेतु छूट दी जा सकेगी) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर/राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(12) उपरोक्त दोनों पदकों के रिबन, पदक का गेज, व्यास (डायामीटर), रंग, धातु तथा पुलिस यूनिफार्म पर लगाया जाने वाला स्थान निम्नानुसार होगा :–

(i) मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट सेवा पदक :–

(a) पदक के रिबन में तीन पट्टी होंगी जिसमें प्रथम पट्टी रंग केसरिया (Saffron in colour) इसके बाद लाल पट्टी (Red Strip) (चौड़ाई 1 एम.एम) बीच में सफेद रंग की पट्टी (White Strip) इसके बाद लाल पट्टी (Red Strip) (चौड़ाई 1 एम.एम) एवं अन्त में गहरे भूरी (Dark Brown @ Coffee Colour Strip) होगी। केसरिया, सफेद वगहरे भूरे रंग की पट्टियों की चौड़ाई क्रमशः .9,.9,.9, एम.एम होगी।

(b) एक पदक के रिबन की चौड़ाई 3.1 से.मी. व लम्बाई 7.5 से.मी. होगी।

(c) रिबन की लम्बाई 7.50 से.मी. होगी जिसमें उपर से नीचे की ओर 4/4.5 से.मी. पर पदक लगाया जायेगा

(d) पदक का आकार तथा अन्य विवरण

- ➢ पदक का आकार गोल होगा।
- ➢ पदक का व्यास (Dia.) 35 एम.एम होगा।
- ➢ पदक की मोटाई (Gauge) 16
- ➢ पदक का धातु Cupro-Nickel होगा। पदक का चिन्ह और इस पर लिखित शब्द उभरे हुए होंगे।(Embossed with 3D)
- ➢ पदक का रंग सुनहरा(Golden)होगा।

- ➢ पदक के मध्य भाग में राजस्थान का नक्शा (Map) बना होगा।
- ➢ राजस्थान के नक्शे (Map) के अन्दर **अशोक स्तम्भ का चिन्ह** बना होगा तथा उसके नीचे "सत्यमेव जयते" लिखा होगा, इसके नीचे "राजस्थान सरकार" लिखा होगा।ये सभी ऑलिव पत्तियों के भीतर होंगें। पदक के निचले भाग पर "सेवार्थ कटिवद्धता" लिखा होगा। मेडल में अशोक स्तंभ के ऊपर "मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक'' लिखा होगा।

(e) पदक को कमीज के बॉयी पॉकेट/ट्यूनिक पर इस तरह पहना जाए जिससे कि आधार समरूप हो दूसरी तरफ लम्बवत लाईन पॉकेट बटन के मध्य की पंक्ति में हो। (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मैनुअल के अनुसार)

(ii) <u>मुख्यमन्त्री सराहनीय सेवा पदक</u>

(a) पदक के रिबन में तीन पट्टी होंगी जिसमें प्रथम पट्टी रंग केसरिया (Saffron in colour) इसके बाद पीली पट्टी (Yellow Strip)(चौड़ाई 1 एम.एम) बीच में सफेद रंग की पट्टी (White Strip) इसके बाद पीली पट्टी (Yellow Strip) (चौड़ाई 1 एम.एम) एवं अन्त में गहरी भूरी(Dark Brown @ Coffee Colour Strip) होगी। केसरिया, सफेद गहरे भूरे रंग की पट्टियों की चौड़ाई क्रमशः .9,.9,.9, एम.एम होगी।

(b) एक पदक के रिबन की चौड़ाई 3.1 से.मी. व लम्बाई 7.5 से.मी. होगी।

(c) रिबन की लम्बाई 7.50 से.मी. होगी जिसमें उपर से नीचे की ओर 4/4.5 से.मी. पर पदक लगाया जायेगा

(d) पदक का आकार तथा अन्य विवरण

- ➢ पदक का आकार गोल होगा।
- ➢ पदक का व्यास (Dia.) 35 एम.एम होगा।
- ➢ पदक की मोटाई (Gauge) 16
- ➢ पदक का धातु (Cupro-Nickel) होगा। पदक का चिन्ह और इस पर लिखित शब्द उभरे हुए होंगे। (Embossed with 3D)
- ➢ पदक का रंग सिल्वर (Silver) होगा।
- ➢ पदक के मध्य भाग में राजस्थान का नक्शा (Map) बना होगा।
- ➢ राजस्थान के नक्शे (Map) के भीतर अशोक स्तम्भ का चिन्ह बना होगा तथा उसके नीचे "सत्यमेव जयते'' लिखा होगा, इसके नीचे "राजस्थान सरकार" लिखा होगा।ये सभी ऑलिव पत्तियों के भीतर होंगें। पदक के निचले भाग पर सेवार्थ कटिबद्धता लिखा होगा। पदक में अशोक स्तंभ के ऊपर "मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक" लिखा होगा।

(e) पदक को कमीज के बाँयी पॉकेट/ट्यूनिक पर इस तरह पहना जाए जिससे कि आधार समरूप हो दूसरी तरफ लम्बवत लाईन पॉकेट बटन के मध्य की पंक्ति में हो। (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मैनुअल के अनुसार)

(13) उक्त पदकों का रिकार्ड संधारण :–

पदक के पीछे अंकित पदक के नाम के नीचे (बीच में) बढ़ते हुये क्रम में यथा 0001,0002 पदक क्रमांक अंकित होगा।

(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, गृह।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ।
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
9. निज़ी सचिव शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस